न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–344/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00278)

1. गुल्ला पुत्र श्री गंगाबक्स जाति मीना निवासी बिशनगढ़ तहसील आमेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री मनीष पारीक एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 29.06.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2010 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि खसरा नम्बर 13 वाके मौजा बिशनगढ तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें से अपीलार्थी को 5 बीघा भूमि निजी वन विकास हेतु दिनांक 22.08.1987 को आवंटन कमेटी द्वारा निजी वन विकास प्रयोजनार्थ हेतु आवंटन की गई तथा मौके पर आवंटियों, अपीलार्थी को विधिवत कब्जा दे दिया गया तथा आवंटन कमेटी द्वारा अपीलार्थी के हक में आवंटन पत्र भी जारी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम अमल दरामद किया जा चुका है तथा अपीलार्थी ने आवंटन शर्तो के अनुसार आराजीयात में बेर केकेडा, झाड, अरडू, सफेदा आदि के वृक्षरोपण उसी वक्त से कर रखे है तथा उक्त वृक्षों की सिंचाई हेतु कुऐ का निर्माण कर उसमें पम्प सेट लगाकर व आराजीयात में पाईप लाईन डालकर आंवटनशुदा भूमि में लगाये गये वृक्षों की सिंचाई करता है एवं वन विकास प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहा है तथा अपीलार्थी को जो भूमि निजी वन विकास हेतु आवंटन की गई वह भूमि निजी वन विकास बंजड भूमि आवंटन अधिनियम की सभी शर्तो की पालनार्थ में विधिवत आवंटन की गई है और अपीलार्थी ने अधिनियम की पालनार्थ में कब्जा लेकर वन विकास उसी वक्त से करते हुए आराजीयात का उपयोग व उपभोग कर रहा है तथा आज भी अपीलार्थी के कब्जे में उक्त कदमी से चली आ रही है अर्थात आवंटन होने से पूर्व से ही अपीलार्थी के बुजूर्गो के जमाने से ही ये भूमि अपीलार्थी के कब्जे में तथा राज्य सरकार को अपीलार्थी व उसके बुजूगान लगान बतौर पैनेल्टी अदा करते रहे है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलक्टर जयपुर ने बिना अपीलार्थी को प्रोपर नोटिस दिये बिना ही और अपीलार्थी की बिना विधिवत तामील कराये ही व अपीलार्थी के बिना सबूत, साक्ष्य लिये ही तथा अपीलार्थी को बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही व बिना मौके जॉच किये ही केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.07.1991 को अपीलार्थी के हक में किय गये आवंटन दिनांक 22.08.1987 को निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानते हुए एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट से यह साबित नही होता कि मौके की रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार मौके पर जाकर की है अथवा हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट चाही गई है तथा मौका कौनसी दिनांक को, कब देखा गया है तथा तहसीलदार ने अपीलार्थी को न तो मौके पर उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस ही दिया और ना ही मौके पर रिपोर्ट तैयार की गई ऐसी रिपोर्ट का कानूनन कोई महत्व नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानते हुऐ एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निणर्य न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से मंसूख किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 100/2006 पर पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 05.10.2010 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें एवं अपीलार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 22.08.1987 का निजी वन विकास प्रयोजनार्थ हेतु भूमि आवंटन की गई है उसे बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करें जिससे अपीलार्थी को उचित न्याय व राहत मिल सकें एवं अपनी कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि से महरूम न हो सकें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही क गई है तथा ना ही तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भूमि में मौके पर कोई वृक्ष आदि होना स्पष्ट होता है। इस प्रकार आवंटन शर्तो का उल्लंघन होने से आवंटन को बहाल रखने का कोई औचित्य नही था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2010 विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथमतयः प्रकरण में पूर्व में भी कई बार निर्णय हुऐ है तथा प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के निर्णय दिनांक 29.09.2001 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उस अपील के निर्णय दिनांक 16.05.2006 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर पक्षकारान को जरिये अभिभाषक हिदायत दी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गई थी कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने हेतु दिनांक 06.06.2006 का उपस्थित हो तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये है एवं अपीलान्ट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा है जिसकी अंगूठा निशानी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेशिका में अंकित है जिससे यह नही माना जा सकता है कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पारित किया गया हो। द्वितीयः पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर मौके पर बडे–बडे टीले हे व झाड़िया है, काश्त नही हो रही हैं ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता कि आवंटन के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कभी काश्त करने का प्रयत्न किया गया हो जो कि आवंटन की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन होने से आवंटन आदेश को यथावत रखे जाने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही रहे है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाकं 05.10.2010 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2010 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।